


04^b/₂₂

पत्रावली पेश हुई। कृपया उप।

पत्रावली के अर्थात् से जाहिर है कि वदी अधिवक्ता को दि. 20-3-2018 से प्रतिकाही सं. 01 से 09 की तलबी के लिये P/F सम्मन प्रस्तुती के लिये क्वे र्तवा समय/ अवसर दिये जाने के बावजूद P/F सम्मन पेश नहीं किये है। अतः वाद वारी आदेश-9 नियम-2 CPC के प्रावियों अनुसार न्यायालय आदेश की अनुपालना में क्विल रहने के कारण वारीगत का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली के संसप्त शुमार दिकर नंबर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)